राजस्थान–सरकार
निदेशालय आयुर्वेद विभाग अजमेर
अशोक मार्ग, सावित्री चौराहा, अजमेर (राजस्थान) 305001

क्रमांक प01/प्रति–3/जू.न.क./नियु./2015/ दिनांक

आदेश

माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा याचिका संख्या 12527/2017 श्यामलाल मीणा बनाम राजस्थान राज्य में पारित आदेश दिनांक 02.11.2017 की अनुपालना के कम में याची श्री श्यामलाल मीणा द्वारा माननीय न्यायालय में दायर अवमानना याचिका संख्या 764/2018 श्यामलाल मीणा बनाम आनन्द कुमार प्रमुख शासन सचिव आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग राजस्थान जयपुर को मध्येनजर रखते हुये उप शासन सचिव, आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग राजस्थान जयपुर के पत्रांक प011(7) आयु0/2010 दिनांक 19.06.2018 के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 02.11.2017 के विरूद्ध राजस्थान राज्य द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय में दायर की जाने वाली विशेष अनुमति याचिका में पारित होने वाले निर्णय के अध्यधीन श्री श्यामलाल मीणा को नियुक्ति दिये जाने की प्रशासनिक स्वीकृति जारी की गई है ।

उक्त कम में डी.बी.सिविल रिट रिव्यू संख्या 275/2016 राजस्थान राज्य बनाम यादवेन्द्र शांडिल्य व अन्य (अन्तर्गत डी.बी सिविल रिट संख्या 10246 माननीय उच्च न्यायालय जयपुर अनुभव के आधार पर बोनस अंको का लाभ दिये जाने के फलस्वरूप पात्र पाये जाने से वित्त विभाग के नोटिफिकेशन कमांक एफ.15(1)एफडी/रूल्स/2017 दिनांक 30.10.17. अन्तर्गत जूनियर कम्पाउण्डर/नर्स के पद पर Level in Pay Matrix (L-10) में कार्य ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष परिवीक्षा प्रशिक्षण (प्रोबेशनर ट्रेनी) पर मासिक नियत पारिश्रमिक (फिक्स रेमूनरेशन) रू 23700/–(अक्षरे रूपये तेईस हजार सात सौ रूपये मात्र) पर निम्न शर्तो पर नियुक्ति प्रदान की जाती है।

क्र.स.	वरियता क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	पिता का नाम	जन्म दिनांक	लिंग	संवर्ग
1	21–ए	श्याम लाल मीणा	लटूरलाल मीणा	01-07-1989	M	ST-MADA

1- उक्त अभ्यर्थी की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा सि.डब्ल्यू.पी.10246/2013 मे पारित निर्णय दिनांक 26.02.2016 व डी.बी.सि.रिव्यु याचिका संख्या 275/2016 मे पारित आदेश दिनांक 21.08.2017 के विरूद्व माननीय उच्चतम न्यायालय, नई–दिल्ली मे दायर की गयी एस.एल.पी. डायरी नं. 31154–31155/2017राजस्थान राज्य व अन्य बनाम यादवेन्द्र शांडिल्य व अन्य संलग्न याचिका संख्या 6600–6601/2018 व 6014–6015/2018 के तथा माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 02.11.2017 के विरुद्ध राज्य सरकार द्वारा दायर की जाने एस.एल.पी में पारित होने वाले आदेश/निर्णय के अध्यधीन रहेगी **(Subject to any order/decision in the S.L.P. Filed before the Hon"ble Supreme Court of India)**

2- उक्त नियुक्ति उक्त पदो एवं इस भर्ती के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय जयपुर/जोधपुर एवं अन्य न्यायालयों में दायर विभिन्न रिट याचिकाओ/ विशेष अनुमति याचिकाओं में पारित आदेश/निर्णय एवं अंतिम निर्णय के अध्यधीन एवं सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समान प्रकृति/तथ्य के प्रकरणों में दिये जाने वाले निर्णयो/आदेशो के अध्यधीन रहेगी।

3- उक्त परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी को वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक प01(2) वित्त/नियम–06 दिनांक 13.03.2006 एवं एफ 14(1) एफ डी/रूल्स 2013 पार्ट दिनांक 08.06.2015 के अनुसरण में नियत पारिश्रमिक दिया जायेगा। यह पारिश्रमिक माननीय उच्चतम न्यायालय में लम्बित एस.एल.पी.25565/2015 राजस्थान राज्य बनाम गोपाल कुमावत के निर्णय के अध्यधीन होगा ।

4- माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय की पालना में याची श्री श्याम लाल की नियुक्ति काल्पनिक आधार पर उस दिनांक से मानी जावेगी जिस दिनांक से इसके समान अंक वाले अन्य अभ्यर्थियो को नियुक्ति दी गई थी । एवं इसके अनुसार ही समस्त पारिणामिक लाभ/परिलाभ काल्पनिक आधार पर नियमानुसार देय होगे।

निर्देशः–

1. उक्त अभ्यर्थी नियुक्ति आदेश जारी होने के की दिनांक से 15 दिवस की अवधि के अन्दर अन्दर अपनी उपस्थिति निदेशक आयुर्वेद विभाग, अजमेर के कार्यालय मे आवश्यक रूप से देवें।निर्धारित समयावधि में कार्य ग्रहण नही करने की स्थिति में नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त समझे जावेगें।
2. निदेशालय मे उपस्थिति के समय मूल शैक्षणिक योग्यता एवं तकनिकी योग्यता से संबधित समस्त दस्तावेज प्रस्तुत करने होगे।पुलिस सत्यापन रिपोर्ट/स्वास्थ्य प्रमाण पत्र/संतान संबधी प्रमाण पत्र/विवाह पजीयन प्रमाण पत्र /एव दहेज संबंधी प्रमाण पत्र कार्य ग्रहण के समय प्रस्तुत करने होंगे।
3. अभ्यर्थी उपस्थिति के समय एक शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा कि उसके संबंध में कोई प्रमाण पत्र/दस्तावेज फर्जी/संदिग्ध अथवा परिवर्तित किया हुआ पाया गया तो उसे सेवा से पृथक किया जा सकेगा तथा वह अपराधिक दण्डिक कार्यवाही का भागी होगा।
4. उक्त नियुक्ति आदेश में अंकित अभ्यर्थी यदि पूर्व से विभाग में संविदा/अनुबन्ध/ग्रा0नर्स कम्पा0 के रूप में सेवाये दे रहा है तो उक्त नियुक्ति आदेश के क्रम में ड्युटी ज्वाईन करने पर उनका संविदा/अनुबन्ध/ग्रा0नर्स कम्पा0 के पद के आदेश तुरन्त प्रभाव से समाप्त माना जावेगा ।
5. विभागान्तर्गत ग्रामीण आयुर्वेद नर्स/कम्पा0 अथवा परिचारक के पद की सेवाओ के अतिरिक्त अन्यत्र सेवाये दे रहे कार्मिको को उक्त नियुक्ति आदेश के कम में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व अपना त्याग पत्र स्वीकृत कराकर प्रस्तुत करना होगा।
6. **उपर्युक्त की नियुक्ति स्वास्थ्य परीक्षण, पूर्वाचरण रिपोर्ट तथा उनके द्वारा प्रस्तुत चरि.त्र प्रमाण पत्र संतोषजनक पाये जाने के अध्यधीन रहेगी।**

//
(स्नेहलता पंवार)
निदेशक

क्रमांक प01/प्रति–3/जू.न.क./नियु./2015/ 9816-18 दिनांक 22.06.18

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवही हेतुः–

1. उप शासन सचिव आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग राजस्थान जयपुर को पत्रांक प011(29) आयु0/2010 दिनांक 09.11.2017 के संदर्भ में।
2. उप विधी परामर्शी निदेशालय आयुर्वेद विभाग, अजमेर
3. संबधित अभ्यर्थी श्री श्याम लाल मीणा पुत्र श्री लटूरलाल मीणा ग्राम खेडली खुश्क पोस्ट लाख सनिजा तह0 दीगोद जिला कोटा
4. सामान्य पत्रावली

अति0निदेशक(आयु0)